

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक रू. प.4(ई)(वी) अलेसे.-III लिंक नं.-10326/3336

दिनांक:- 27-03-2019

कार्यालय आदेश

श्री विनोद प्रजापत, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) मेरिट संख्या 360/2013 कार्यालय कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27.09.2018 से 28.09.2018 तक

उक्त कुल 02 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विनोद प्रजापत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

27.3.19

(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-10326/3336
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक :- 27-03-2019

1. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विनोद प्रजापत, कनिष्ठ लेखाकार लिंक नं.-10326 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

✓

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)